संख्या-97/482/84-1-14-14 बजट/2013

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 24 जून, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अन्तर्गत मानक मद-16-व्यवसायिक सेवा एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-374/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ब.आ./2014-15, दिनॉक 05 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को मानक मद सं0-16 व्यावसायिक सेवा एवं विशेष सेवाओं में भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 35,00,000/- (पैतीस लाख रूपये) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-01- वेतन एवं 3456-सिविलुपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-06- मंहगाई भत्ता मद में हो रही बचतों से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-16- व्यावसायिक सेवा एवं विशेष सेवाओं के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/890/दस-2014, दिनॉक 23 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 97/482(1)/84-1-14 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भः- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग | वित्तीय वर्ष 2014-15 | (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान-01-वेतन	116461	1500	1500	1500	114961
3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान-03'मंहगाई भत्ता	122284	2000	2000	2000	120284
योग-	238745	3500	3500	3500	235245

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3456-सिविल पूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान-16-व्यावसायिक सेवा एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100	15000	3500	3500	3600
योग	100	15000	3500	3500	3600

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण -उपरोक्त मद में बचत का मुख्य कारण अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों का रिक्त रहना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि आवश्यकतानुसार आय'-व्ययक प्राविधान न होने के कारण है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 24/ई-7-890/दस-2014 दिनॉक 23 जून, 2014

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-97/482(2)/84-1-14-14 बजट/2013 दिनॉक 24 जून, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in